दिनांक 09.10.2024
प्रेस विज्ञप्ति 15/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना अमहदगढ़</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद**

दिनांक 09.10.2024 को थाना अमहदगढ़ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शिकारपुर तिराहा के पास मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त करन उर्फ छोटू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी हैं, जो थाना अमहदगढ़ पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना अमहदगढ़ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—करन उर्फ छोटू निवासी कुतुआपुर थाना कोतवाली नगर जनपद हरदोई।

<u>बरामदगी</u>

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2—01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

जनपद संतकबीरनगर/थाना महुली

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 53 हजार रूपये नगद**
- **चोरी का 01 डीवीआर आदि बरामद**

दिनांक 08.10.2024 को थाना महुली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 02 अभियुक्तों 1–आनन्द 2–दीपक को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 53 हजार रूपये नगद, चोरी का 01 डीवीआर आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 30.09.2024 को थाना महुली क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना महुली पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना महुली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आनन्द निवासी नाथनगर बड़का पुरवां थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

2–दीपक निवासी चंवरिया थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी

1–चोरी के 53 हजार रूपये नगद।

2–चोरी का 01 डीवीआर आदि।

जनपद सीतापुर/थाना कमलापुर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 16 हजार 500 रूपये नगद**
- **चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 09.10.2024 को थाना कमलापुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नहर पुलिया के पास से 03 अभियुक्तों 1– महेन्द्र 2– अंकित उर्फ पुतान 3– रजनेश उर्फ

छोटू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 16 हजार 500 रूपये नगद, चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण, 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना कमलापुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कमलापुर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कमलापुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–महेन्द्र निवासी ग्राम उसरी थाना कमलापुर जनपद सीतापुर।

2–अंकित उर्फ पुतान निवासी ग्राम नेवादा थाना कमलापुर जनपद सीतापुर।

3–रजनेश उर्फ छोटू निवासी ग्राम नेवादा थाना कमलापुर जनपद सीतापुर।

बरामदगी

1–चोरी के 16 हजार 500 रूपये नगद।

2–चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण।

3–01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

बहराइच/थाना मोतीपुर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 किलो 250 ग्राम अवैध चरस बरामद**

दिनांक 08.10.2024 को थाना मोतीपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर फुट्टा चेक पोस्ट के पास से 02 अभियुक्तों 1–कृष्णा 2–मान बहादुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 किलो 250 ग्राम अवैध चरस बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना मोतीपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–कृष्णा निवासी मनाली कुल्लू हिमांचल प्रदेश।

2–मान बहादुर निवासी पजाड जनपद जाजाकोट नैपाल।

बरामदगी

1–01 किलो 250 ग्राम अवैध चरस।

- **जनपद कौशाम्बी/थाना करारी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना करारी पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1–विन्देश्वरी को धारा 302/34/504 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 13 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 2–बचान को धारा 302/34/504 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 11 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद फतेहपुर/थाना किशनपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना किशनपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304 भादवि सपठित धारा 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मनोज कुमार को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद चित्रकूट/थाना रैपुरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद चित्रकूट पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद चित्रकूट द्वारा थाना रैपुरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत

अभियुक्त लक्ष्मण को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बलिया/थाना भीमपुरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बलिया द्वारा थाना भीमपुरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अमित को 12 वर्ष के सश्रम कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद गोण्डा/थाना धानेपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 12 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोण्डा द्वारा थाना धानेपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304बी/498ए भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मो0ताहिर को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 12 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना सुबेहा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना सुबेहा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 411/413 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–सल्लन उर्फ सोनू 2–जावेद 3–बृजेश कुमार को 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद गोरखपुर/थाना गोरखनाथ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा थाना गोरखनाथ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 306 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सुरेन्द्र को 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

<u>एस0टी0एफ0–अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 02 तस्कर 2 कुंटल 51 किग्रा गांजा के साथ गिरफ्तार।</u>

दिनांक 09–10–2024 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्करों को 2 कुंटल 51 किग्रा0 गांजा (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 65 लाख रूपये) के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–</u>

1–राहुल पाल पुत्र राजाराम पाल, निवासी गोहानी, थाना आशापुर, देवसर जनपद प्रतापगढ़।

2–प्रिंस कुमार पुत्र रामनाथ पटेल, निवासी मौली जागरण, विकास नगर चण्डीगढ़

<u>बरामदगीः–</u>

1. 2 कुंटल 51 किग्रा0 गांजा (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 65 लाख रूपये)
2. 02 अदद एटीएम कार्ड।
3. 02 अदद पेन कार्ड
4. 01 अदद आधार कार्ड।
5. 01 अदद निर्वाचन कार्ड।
6. 03 अदद मोबाइल फोन।
7. 01 अदद ट्रक (ट्रक नं0–सीएच 01 टीसी 8976)।

<u>गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः–</u>

स्थानः बांदा तिराहा कस्बा कवरई जनपद महोबा। दिनांक 09–10–2024 समय 09. 30 प्रातः।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री सत्यसेन यादव, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ उ0प्र0, लखनऊ के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ0 मुख्यालय में एक टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन के क्रम में निरी0 श्री प्रमोद कुमार वर्मा के नेतृत्व में उ0नि0 वीरेन्द्र सिंह यादव, मु0आ0 प्रभात कुमार, मु0आ0 विजेन्द्र नाथ राय, की टीम जनपद महोबा में मौजूद थी। इस दौरान मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि कुछ व्यक्ति विशाखापटनम से अवैध मादक पदार्थ (गांजा) लेकर चण्डीगढ़ जाने वाले है, यदि शीघ्रता किया जाय तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर विष्वास कर, एन0सी0बी0/स्थानीय पुलिस को अवगत कराते हुए, साथ लेकर मुखबिर के बताये स्थान पर पहुँच कर, चेकिंग करने लगे। कुछ समय पश्चात मुखबिर द्वारा बताया हुआ ट्रक आता दिखायी दिया जिसे रोककर चेक किया गया तो उक्त ट्रक से 2 कुंटल 51 किग्रा0 गांजा बरामद हुआ तथा ट्रक में बैठे दोनों अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी हुयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने संक्षिप्त पूछताछ पर बताया कि यह अवैध मादक पदार्थ (गांजा) इन लोगों द्वारा विशाखापटनम से लाकर चण्डीगढ़ के रामबरन पटेल उर्फ नेता पुत्र दुखीराम निवासी भाटीखुर्द थाना आसेपुर देवसरा प्रतापगढ़ जो कि वर्तमान समय में चण्डीगढ़ में रहता है, को देते है यह दोनो रामबरन पटेल के लिए ही काम करते है। यह ट्रक भी रामबरन पटेल का ही है। विशाखापटनम में यह मादक पदार्थ गांजा लोड

करवाने का कार्य रामबरन के पुत्र मुकेश द्वारा कराया जाता है। यह कार्य काफी वर्षो से कर रहे है। इस कार्य से ही इनका जीवन यापन किया जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त राहुल पाल द्वारा बताया गया कि हम लोगों द्वारा जो भी खाने पीने व टोल टैक्स का खर्च होता है वह रामबरन पटेल द्वारा मेरे खाते में भेज दिया जाता है और मेरे द्वारा ऑनलाइन पेमेंट कर दिया जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्व अग्रेतर कार्यवाही एन0सी0बी0 द्वारा की जा रही है।

————

दिनांक 09.10.2024
प्रेस विज्ञप्ति 14/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 की प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों के साथ भेंटवार्ता

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 से आज दिनांक 09.10.2024 को पुलिस मुख्यालय में भारतीय पुलिस सेवा के 46वें इण्डक्शन प्रशिक्षण कोर्स के 10 प्रशिक्षु आई0पी0एस0 अधिकारियों द्वारा शिष्टाचार भेंट की गयी।

उक्त 46वें आई0पी0एस0 इण्डक्शन प्रशिक्षण कोर्स के 10 प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों द्वारा मुख्यालय भेंटवार्ता भ्रमण/प्रशिक्षण हेतु आगमन किये हैं। यह प्रशिक्षु आई0पी0एस0 महाराष्ट्र, गुजरात व आन्ध्रप्रदेश कैडर के हैं। प्रशिक्षु आई0पी0एस0 अधिकारियों द्वारा पुलिस मुख्यालय स्थित नियन्त्रण कक्ष, तकनीकी सेवाएं, फायर सर्विस मुख्यालय के साथ–साथ सोशल मीडिया सेन्टर का भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर 24X7 मॉनीटरिंग किये जाने तथा सोशल मीडिया सेन्टर की कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा प्रशिक्षु आई0पी0एस0 अधिकारियों को उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए उनका मार्गदर्शन किया गया।

इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक रूल्स एण्ड मैनुवल, अपर पुलिस महानिदेशक स्थापना, अपर पुलिस महानिदेशक कानून–व्यवस्था, अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जीएसओ सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहें।

दिनांक 09.10.2024
प्रेस विज्ञप्ति 13/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा दुर्गापूजा, महानवमी, दशहरा आदि पर्व के अवसर पर सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देश

श्री प्रशान्त कुमार पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक जनपद प्रभारी उ0प्र0 को आगामी त्यौहार दुर्गापूजा, महानवमी एवं दशहरा के दृष्टिगत सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही के दिशा निर्देश दिये गयेः–

- दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन जुलूसों में त्रुटि रहित, योजनाबद्ध पुलिस प्रबन्ध किया जाये। प्रतिमाओं तथा जुलूस की सुरक्षा हेतु बाक्स फार्मेट (Box Formation) में पुलिस प्रबन्ध करते हुए आगे, पीछे, दायें तथा बायें चारो तरफ डियूटियां लगायी जाये। समस्त पुलिस, पीएसी बल, होमगार्डस की राजपत्रित अधिकारियों द्वारा विधिवत ब्रीफिंग की जाये। इस दौरान रूफ टाप ड्यूटी हेतु स्ट्रेटजिक भवनों का चयन कर डियूटी लगायी जाये।
- महानवमी के दौरान मंदिरों में महिलाओं व बच्चियों की अत्यधिक भीड़ के मद्देनजर मंदिरों व आने–जाने वाले मार्गों पर पर्याप्त संख्या में महिला व पुरूष कर्मियों की ड्यूटी लगायी जाये। एण्टी रोमियो स्कवाड को भी सक्रिय रखा जाये।
- मजिस्ट्रेट/पुलिस अधिकारी प्रतिमाओं के समूह के साथ रहें, जिला मजिस्ट्रेट से समन्वय स्थापित कर कार्यकारी मजिस्ट्रेट की विसर्जन के दौरान आवश्यकतानुसार डियूटी लगा ली जाये।
- मूर्ति विसर्जन के समय नदियों के घाटों/सरोवरों आदि पर बैरिकेटिंग के साथ ही स्थानीय गोताखोरों/जल पुलिस/बाढ़ राहत पीएसी की व्यवस्था की जाये तथा फ्लड लाइट व अल्टरनेट प्रकाश की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

- रावण दहन के दौरान अग्निशमन व्यवस्था का पर्याप्त प्रबन्ध किया जाये। सुरक्षा के दृष्टिगत पूर्व से ही पुतला दहन स्थल की बैरिकेटिंग करा ली जाये। आयोजकों से इस सम्बन्ध में पूर्व में ही वार्ता कर योजना तैयार कर ली जाये, समस्त महत्वपूर्ण स्थलों पर राजपत्रित अधिकारी तथा मजिस्ट्रेट की डियूटी अवश्य लगायी जाये।
- इस अवसर पर कानून व्यवस्था के दृष्टिगत निरन्तर विशेष सतर्कता अपेक्षित है अतः रेलगाड़ियों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों, बाजारों, भीड़ वाले स्थानों, शापिंग माल्स आदि पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाये।
- समस्त धार्मिक स्थलों के आस–पास प्रातःकालीन पोस्टर चेकिंग पार्टी निकाल कर सघन चेकिंग कराई जाये।
- समस्त कमिश्नरेट/जनपद द्वारा कार्यकमों के आयोजको, संचालकों, प्रबन्धक कमेटी के सदस्यों तथा धर्मगुरूओं के साथ समय से गोष्ठी कर ली जाये। उक्त गोष्ठियों में स्थानीय मजिस्ट्रेट तथा अन्य विभागों यथा पी०डब्लू०डी, नगर निगम, जल संस्थान, विद्युत आदि के अधिकारियों को भी सम्मिलित किया जाये।
- गोष्ठी के दौरान संज्ञान में आने वाली समस्याओं को दूर करने हेतु सभी की टास्किंग करते हुये यथोचित पत्राचार किया जाये तथा समयबद्ध रूप से समस्या का निस्तारण करा लिया जाये। छोटी से छोटी समस्याओं/विवाद को भी कदापि अनदेखा न किया जाये।
- थाने पर उपलब्ध त्यौहार रजिस्टर तथा रजिस्टर नं0–8 में उपलब्ध प्रविष्टियों का अध्ययन कर लिया जाय तथा किसी नये मार्ग अथवा किसी नई परम्परा की अनुमति न दी जाये। असामाजिक/अवांछनीय तत्वों की सूचियों को अद्यावधिक किया जाय, तद्नुसार आवश्यकता पड़ने पर इनके विरूद्ध नियमानुसार कड़ी निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- विगत वर्षों में अथवा इस वर्ष अभी तक जिन–जिन स्थानों पर किसी प्रकार का विवाद परिलक्षित हुआ हो, वहां पुलिस एवं राजस्व विभाग के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा स्थिति का अध्ययन कर विवाद को सुलझाने तथा संवेदनशीलता को दूर करने के लिये समय से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

- कमिश्नरेट/जनपद के अन्तर्गत पूर्व में गठित शान्ति समितियों, सम्भ्रान्त नागरिकों, डिजिटल वालंटियर्स, नागरिक सुरक्षा संगठन के सदस्यों की बैठक आयोजित कर उनका अपेक्षित एवं सकारात्मक सहयोग प्राप्त किया जाये।
- स्थानीय अभिसूचना इकाई के अधिकारियों/कर्मचारियों को सतर्क कर दिया जाय। विभिन्न असामाजिक एवं अवॉछनीय तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाये एवं अभिसूचना इकाईयों के माध्यम से प्राप्त होने वाली लाभप्रद सूचनाओं के आधार पर समय रहते प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- सोशल मीडिया की राउण्ड द क्लॉक मॉनिटरिंग की जाये। सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों जैसे–फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एवं व्हाट्सएप आदि पर सतर्क दृष्टि रखते हुए भ्रामक/आपत्तिजनक पोस्ट प्रसारित होने पर संज्ञान में आते ही सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए तत्काल अफवाहों का खण्डन किया जाये।
- नियंत्रण कक्ष/उप नियंत्रण कक्ष सुचारू रूप से व्यवस्थापित किये जाने तथा त्वरित सूचना प्रेषण एवं उस पर कार्यवाही की सुदृढ़ प्रक्रियायें निर्धारित की जायें। मीडिया ब्रीफिंग हेतु प्रभावी व्यवस्था सक्षम स्तर पर की जाये। कमिश्नरेट/जनपद के कन्ट्रोल रूम (डीसीआर, सीसीआर) में कुशल कर्मचारियों की शिफ्टवार डियूटी (24X7) लगायी जाय, जिससें सहज व त्वरित संवाद बना रहे।

उपरोक्त दिशा–निर्देशो का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।